न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कीटनोद

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथ राम,आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 91/16

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

वादीगण:

1. भंवरा पुत्र मांगीया
2. गुला पुत्र मांगीया
3. पुनमा पुत्र मांगीया
4. शंकर पुत्र मांगीया
5. झमु बेवा मांगीया
   जतियान मेघवाल निवासी किटनोद

प्रतिवादीगण:

1. दूदाराम पुत्र वरधाराम
2. पुखदान पुत्र शंकरलाल भाट
3. अणताराम पुत्र मांगीलाल
4. अमराराम पुत्र मांगीलाल
5. नरपतलाल पुत्र मांगीलाल
6. बादली देवी बेवा मांगीलाल
7. नारणाराम पुत्र कालुराम
8. बाबूलाल पुत्र कालूराम जातियान मेगवाल निवासी कीटनोद
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील पचपदरा

दावा बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक : 11.05.2018

वादी का वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 963/452 रकबा 12 बीघा व खसरा नम्बर 965/453 रकबा 23.10 बीघा किस्म बारानी दोयम व प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 962/452 रकबा 15 बीघा प्रतिवादी सं. 2 पुखदान की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 964/453 रकबा 7.10 बीघा व प्रतिवादी सं. 3 ता 8 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 966/453 रकबा 3.17 बीघा व खसरा नम्बर 967/453 रकबा 15 बीघा भूमि सरहद मौजा किटनोद मे अवस्थित है। जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर जरिये पत्थरगढी बंटवाड़ा (तकासमा) कर कर जुदा की जाकर पृथक पृथक बटटा नम्बर राजस्व अभिलेख खातौनी एवं नक्शा किस्तवार मे बतौर अमल दरामद अंकित कर वादीगण के तन्हा एवं जुदागाना कब्जे मे रखी जावे व राजस्व रेकर्ड मे आवश्यक सुधार की प्रविष्टियां अंकित कर अलग–अलग दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से निषेधित किया जावे कि वादीगण के हिस्से व कब्जा काश्त की कृषि भूमि मे किसी प्रकार का दखल/ हस्तक्षेप व प्रवेश करने की चेष्टा कभी नही करे तथा न ही वादीगण के हक हिस्से व कब्जा कास्त की भूमि किसी को बेचान हस्तानान्तरण रहन बख्सीस या नया निर्माण वगैरा नही करे। जब तक राजस्व रेकर्ड नक्शे मे अलग अलग तरमीम दर्ज न हो।

(भागीरथ राम)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.. किटनोद

Scanned by CamScanner

हमने वाद पत्र व वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेज का भंलीभाती अवलोकन किया व ध्यानपूर्वक मनन किया तथा राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार की भावना को ध्यान मे रखते हुऐ दोनो पक्षो को सुना गया राजस्व रेकर्ड जमाबनदी से जाहिर है। कि उक्त भूमि का विभाजन कर अलग बटटा नम्बर डालकर खाते अलग अलग कर दिये गये परन्तु राजस्व नक्शा किस्तवार मे जमांबंदी अनुसार तरमीम नही होने से आपसी विवाद है। कैम्प कोर्ट मे भू.अ. निरीक्षक आसोतरा को मौके अनुसार नक्शे मे तरमीम कर फर्द मौका पेश करने के निर्देश दिये जिस पर मौका रिपोर्ट पेश कर मूल खसरा 452 की तरमीम A to B निरस्त करने व D to C तरमीम करना बताया गया जिस पर दोनो पक्षो ने अपनी सहमति दी व रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये। मजमे आम मे रिपोर्ट मौका पढ कर सुनाई जिसे सही होना स्वीकार किया।

अतः मौजा किटनोद के खसरा नम्बर 962/452 रकबा 15 बीघा, खसरा नम्बर 963/452 रकबा 12 बीघा खसरा नम्बर 964/453 रकबा 7.10 बीघा खसरा नम्बर 965/453 रकबा 23.10 बीघा खसरा नम्बर 966/453 रकबा 3.17 बीघा खसरा नम्बर 967/453 रकबा 15 बीघा भूमि की तरमीम मौका रिपोर्ट अनुसार नक्शे मे किये जाने के आदेश दिये जाते है। मौका रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा व डिगरी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कीटनोद में खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(भागीरथ राम)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं प्रथम सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.. कीटनोद

Scanned by CamScanner